एअर इंडिया लिमिटेड

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी दस्तावेज़

एअर इंडिया लिमिटेड

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी दस्तावेज़

कंपनी के संस्था के अंर्तनियम के अनुच्छेद 132 की धारा 25 तथा 29 के संदर्भ में बोर्ड को कंपनी, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यवसाय के नियमन के लिए उप विधि कानून को बनाने, अलग करने और निरस्त करने का अधिकार है तथा कंपनी जहां आवश्यक समझे, कंपनी के कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने तथा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर कुछ शक्तियां, कार्य तथा प्राधिकार प्रदान करती है।

कंपनी एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश में उल्लिखित अधिकारी उन कार्यों तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो पैरा 21 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सौंपे गए हैं।

1. सामान्य

1.1 प्रत्यायोजन का यह दस्तावेज़ 01 मार्च, 2017 से लागू होगा।

1.2 इससे संबंधित लागू सभी पिछले आदेश अथवा शक्तियों के प्रतयायोजन के दस्तावेज़ इस तिथि से रद्द हो जाएंगे। तथापि विनियमों/स्थायी आदेशों के तहत अधिकारियों को दी गई मौजूदा शक्तियां निरस्त नहीं होंगी।

2. शक्तियों के उपयोग के लिए अधिकारियों का नामांकन

प्रत्येक उल्लिखित कार्यपालक तथा अधिकारी को यहां सौंपे गए कार्यों तथा शक्तियों का अनुपालन करने के लिए नीचे उल्लिखित निर्दिष्ट कार्यपालकों/अधिकारियों को इस दस्तावेज़ के तहत सौंपे गए वित्तीय शक्तियों का अनुपालन करना होगा:

क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
ख) उप प्रबंध निदेशक/संयुक्त प्रबंध निदेशक
ग) निगमित कार्यों के प्रमुख

i. निदेशक(वाणिज्य)
ii. निदेशक(वित्त)
iii. निदेशक(कार्मिक)
iv. निदेशक(प्रचालन)
v. मुख्य सतर्कता अधिकारी
vi. कार्यपालक निदेशक(सुरक्षा)
vii. कार्यपालक निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी)
viii. कार्यपालक निदेशक(सामग्री प्रबंधन)
ix. कार्यपालक निदेशक(उड़ान सुरक्षा)
x. कार्यपालक निदेशक(आईओसीसी एंड सीएमएस)

xi. कार्यपालक निदेशक(निगमित कार्य)
xii. कार्यपालक निदेशक(प्रशिक्षण)
xiii. कार्यपालक निदेशक(यात्री सेवाएं)
xiv. कार्यपालक निदेशक(ग्राउंड हैंडलिंग)
xv. कार्यपालक निदेशक(इंजीनियरी)
xvi. कार्यपालक निदेशक(परियोजना)
xvii. कार्यपालक निदेशक(मुख्यालय)
xviii. कार्यपालक निदेशक(राजस्व प्रबंधन)
xix. कंपनी सचिव

घ) निगमित कार्य के यूनिट प्रधान

i. कार्यपालक निदेशक(वित्त)
ii. कार्यपालक निदेशक(प्रचालन)
iii. कार्यपालक निदेशक(कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क)
iv. कार्यपालक निदेशक(स्ट्रैटजी एंड नेटवर्क योजना)
v. कार्यपालक निदेशक(विक्रय तथा विपणन)
vi. कार्यपालक निदेशक(कार्गो)
vii. कार्यपालक निदेशक(यात्री सेवाएं)
viii. महाप्रबंधक(गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं)
ix. महाप्रबंधक(संपत्ति एवं सुविधाएं)
x. महाप्रबंधक(चिकित्सा सेवाएं)
xi. महाप्रबंधक(आंतरिक लेखा परीक्षा)

ड.) निगमित कार्य के प्रभागीय प्रधान

क) निगमित कार्य के प्रभागीय प्रधान जैसे महाप्रबंधक(कार्मिक)/औद्योगिक संपर्क/वित्त/सामग्री प्रबंधन/विधि/वाणिज्य/सुरक्षा इत्यादि।

च) निगमित कार्य के अनुभागीय प्रधान

क) निगमित कार्य अनुभागीय प्रधान जैसे उप महाप्रबंधक/वरि.सहायक महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक(कार्मिक)/औद्योगिक संपर्क/वित्त/सामग्री प्रबंधन/विधि/वाणिज्य/सुरक्षा आदि।

छ) क्षेत्रीय निदेशक

I. क्षेत्रीय निदेशक(उत्तरी क्षेत्र)
II. क्षेत्रीय निदेशक(दक्षिणी क्षेत्र)
III. क्षेत्रीय निदेशक(पश्चिमी क्षेत्र)
IV. क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वी क्षेत्र)

ज) विदेश स्थित स्टेशनों पर क्षेत्रीय प्रधान

i. क्षेत्रीय प्रबंधक(अमेरिका)

ii. क्षेत्रीय प्रबंधक(यूके तथा यूरोप)

iii. क्षेत्रीय प्रबंधक(गल्फ, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका)

iv. क्षेत्रीय प्रबंधक(एशिया पैसिफिक)

झ) निगमित कार्य के क्षेत्रीय प्रधान

क) निगमित कार्य के क्षेत्रीय प्रधान जैसे महाप्रबंधक(कार्मिक)/औद्योगिक संपर्क/वित्त/ वाणिज्य/सामग्री प्रबंधन/प्रचालन/सुरक्षा इत्यादि।

ञ) निगमित कार्य के क्षेत्रीय प्रभागीय प्रधान

क) निगमित कार्य क्षेत्रीय प्रभागीय प्रधान जैसे उप महाप्रबंधक(कार्मिक)/औद्योगिक संपर्क/ वित्त/वाणिज्य/सामग्री प्रबंधन/प्रचालन/सुरक्षा इत्यादि।

ट) निगमित कार्य के क्षेत्रीय अनुभागीय प्रधान/स्टेशन प्रबंधक

क) निगमित कार्य के क्षेत्रीय अनुभागीय प्रधान जैसे सहायक महाप्रबंधक-कार्मिक)/औद्योगिक संपर्क/ वित्त/वाणिज्य/सामग्री प्रबंधन/प्रचालन/सुरक्षा इत्यादि।

टिप्पणियां :

I. क्षेत्रीय प्रधान/क्षेत्रीय प्रभागीय प्रधान/क्षेत्रीय अनुभागीय प्रधान सामान्यत: महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक अथवा समकक्ष वेतनमान के स्तर के कार्यपालक होंगे।

II. पदनाम में परिवर्तन अथवा समाप्त किए जाने की स्थिति में, उस श्रेणी को उपयुक्त रूप से पदनामित करने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास है। नया पदनाम जोड़े जाने की स्थिति में, नए पदनाम की श्रेणी निर्दिष्ट करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबध निदेशक/प्रबंध निदेशक प्राधिकृत हैं।

III. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक क्षेत्रीय प्रभागीय/अनुभागीय प्रधान के समकक्ष वरिष्ठ एग्ज़ेक्यूटिव को स्टेशन की प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के आधार पर उपयुक्त रूप से भारत तथा विदेश दोनों में स्टेशन प्रबंधक पदनामित कर सकते हैं।

3. प्रत्यायोजन की सामान्य शर्तें:

3.1 एअर इंडिया के निदेशक मंडल के पास कंपनी अधिनियम, 2013 संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों तथा समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अधीन संपूर्ण अधिकार होंगेा

3.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास कंपनी अधिनियम, 2013 संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों तथा समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त निदेशों तथा निदेशक मंडल द्वारा

अनुमोदित नीतियों, नियमों, विनियमों तथा बजट के अनुसार तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों तथा निदेशक मंडल द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कंपनी के प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए बोर्ड में निहित सभी अथवा किसी अधिकार को प्रयोग करने का प्राधिकार है, तथापि इनमें वे मामले सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

3.3 विमान/इंजन/सिम्युलेटर/एपीयू के अधिग्रहण के लिए सभी परियोजनाएं सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएंगी बशर्ते जहां आवश्यक हो, परियोजना नागर विमानन मंत्रालय, परियोजना मूल्यांकन एजेंसियों जिसमें पीआईबी तथा केबिनेट कमेटी ऑफ इकोनोमिक अप्रूवल सीसीईए सम्मिलित हैं, द्वारा अनुमोदित की गई हों।

3.4 एअर इंडिया को निदेशक मंडल के पास बोर्ड के सदस्यों/कंपनी के वरिष्ठ एग्ज़ेक्यूटिव्स की कोई भी उप समिति बनाने का अधिकार होगा, जिसके पास ऐसी उप समिति को निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए अधिकारों के प्रयोग का प्राधिकार होगा।

3.5 अधिकारियों को उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर तथा समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार जिसमें समय-समय पर निर्धारित वित्तीय सहमति/परामर्श सम्मिलित है, के संबंध में शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होगा।

3.6 किसी मामले में, जहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, जिसपर सामान्यत: बोर्ड का निर्णय अपेक्षित होता है, वहां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक को कंपनी के हित को देखते हुए शक्ति के प्रयोग का अधिकार होगा बशर्ते वह शक्ति के प्रयोग के तहत किए गए कार्य की सूचना बोर्ड की अगली बैठक में दे।

3.7 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक कंपनी में अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को प्राप्त किसी अथवा सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास कंपनी में अपने अधीनस्थ सभी एग्ज़ेक्यूटिव्स/अधिकारियों तथा क्षेत्रों/स्टेशनों तथा कंपनी के संगठनों का प्रशासनिक कार्याधिकार भी होगा।

3.8 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा नामित कार्यपालक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक दिन-प्रतिदिन के अपेक्षित कार्यों के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के अधिकारों का प्रयोग करेगा बशर्ते इस कार्रवाई की सूचना जहां तक व्यवहार्य होगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक को दी जाएगी।

3.9 निदेशक-वित्त/निदेशक-वाणिज्य/निदेशक-कार्मिक/निदेशक-प्रचालन/उप प्रबंध निदेशक/सीवीओ/ कार्यपालक निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए किसी या सभी अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार होगा।

3.10 यदि किसी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी को जिन्हें शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है यदि वे किसी अवधि के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनके द्वारा नामित उनका एक अगले वरिष्ठ प्रतिनिधि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनको सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। बशर्ते जितना शीघ्र व्यवहार्य हो ऐसे कार्य की सूचना अगले वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी।

3.11 इस दस्तावेज़ के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी कंपनी के फंड के व्यय के संबंध में उसी सतर्कता का पालन करेंगे जैसाकि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करता है।

3.12 कोई भी अधिकारी जिन्हें इसके अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है वह उपरोक्त 3.5 में उल्लेखित परिस्थितियों को छोड़कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं दे सकता है।

3.13 प्रभागीय प्रधान (निगमित)/क्षेत्रीय प्रधान तक के स्तर के किसी भी अधिकारी को इस दस्तावेज़ के तहत दिए गए अधिकारों पर की गई कार्रवाई की सूचना अगले वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी।

3.14 प्रशासनिक आवश्यकताओं के समय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के पास किसी भी श्रेणी के अधिकारियों को यहां सौंपे गए अधिकारों को लिखित आदेश के माध्यम से घटाने अथवा बढ़ाने का प्राधिकार है।

3.15 जब भी वित्त की सहमति अपेक्षित होती है, अधिकारियों के लिए ऐसी शक्तियों की सीमा निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक प्राधिकृत होता है।

3.16 सीवीओ को अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के भीतर तथा समय-समय पर निर्धारित वित्तीय सहमति सहित नियमों, विनियमों, निर्देशों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार है।

4. पूंजीगत व्यय

क) बजटीय:

नीचे दिए गए प्राधिकारी आवंटित पूंजीगत बजट के भीतर किसी मद पर नीचे दी गई सीमा पर पूंजीगत बजट पर स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत हैं। ऐसे सभी व्यय की सूचना निदेशक-वित्त/कार्यात्मक निदेशक-वित्त को दी जाएगी।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर :

प्राधिकारी	किसी एक मद के लिए प्रदान की जाने वाली स्वीकृति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक-वित्त	24 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक की सहमति
निदेशक-वाणिज्य/निदेशक-कार्मिक/ निदेशक-प्रचालन	16 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए निदेशक-वित्त की सहमति।
कार्यपालक निदेशक-वित्त	16 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए निदेशक-वित्त की सहमति।
कार्यपालक निदेशक-सामग्री प्रबंधन	12 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।
कार्यपालक निदेशक-सूचना प्रौद्योगिकी कार्यपालक निदेशक-इंजीनियरी कार्यपालक निदेशक-ग्राउंड हैंडलिंग कार्यपालक निदेशक-कार्गो	10 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।

कार्यपालक निदेशक-प्रचालन कार्यपालक निदेशक-उड़ान सुरक्षा कार्यपालक निदेशक-प्रशिक्षण कार्यपालक निदेशक-स्ट्रैटिजी एंड नेटवर्क प्लानिंग कार्यपालक निदेशक-सुरक्षा कार्यपालक निदेशक-यात्री सेवाएं कार्यपालक निदेशक-विक्रय तथा विपणन	6 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।
कार्यपालक निदेशक-कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क कार्यपालक निदेशक-निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक-आईओसीसी एंड सीएमएस कार्यपालक निदेशक-परियोजना कंपनी सचिव	4 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।
क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पूर्वी क्षेत्र	4 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।
क्षेत्रीय प्रबंधक (अमेरिका) क्षेत्रीय प्रबंधक (यूके एंड यूरोप) क्षेत्रीय प्रबंधक (गल्फ, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका) क्षेत्रीय प्रबंधक (एशिया/पैसिफिक)	800,000 अमरीकी डॉलर 400,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक की सहमति।
महाप्रबंधक-गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं महाप्रबंधक-संपत्ति तथा सुविधाएं महाप्रबंधक-चिकित्सा सेवाएं महाप्रबंधक-आंतरिक लेखा परीक्षा	2 करोड़ रुपए 1.50 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।
प्रभागीय प्रधान - निगमित/क्षेत्रीय	1.50 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।
अनुभागीय प्रधान - निगमित/क्षेत्रीय	1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति के लिए कार्यपालक निदेशक-वित्त की सहमति।

ख) गैर बजटीय : (पुनर्विनियोजन द्वारा)

I. निम्नलिखित विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को किसी परियोजना या वस्तु पर पूंजीगत बजट में स्वीकृति देने का प्राधिकार है जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह नीचे उल्लेखित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर :

प्राधिकारी	**किसी एक मद पर सीमा**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	अनुमोदित पूंजी बजट में प्रावधान राशि की सीमा तक
निदेशक-वित्त	किसी एक माह में 60 लाख रुपए तथा 24 लाख रुपए प्रति मद

ग) बजटीय राशि/स्वीकृत राशि पर वास्तविक व्यय की अधिकता

यदि पूंजीगत व्यय बजट में प्रदान की गई परियोजना या मद पर वास्तविक व्यय बजटीय राशि तथा/या मूल रूप से स्वीकृत राशि से अधिक है तो पूंजीगत व्यय पर स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी नीचे उल्लेखित सीमा तक अत्यधिक व्यय पर भी स्वीकृति दे सकता है बशर्ते अत्यधिक व्यय को मंजूर मदों से पुन: विनियोजन द्वारा पूरा किया जाए।

मूल रूप से स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत तक या 100 लाख रुपए, जो भी कम हो।

5. राजस्व व्यय

I. बजटीय :

ऐसे नियम तथा प्रक्रियाओं के अधीन, जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है, ऊपर खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आवर्ती व्यय कर सकते हैं जो अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रत्येक हेड के तहत आवंटित बजट से अधिक नहीं होना चाहिए।

II. गैर-बजटीय

सामान्यत: बजट में सभी राजस्व व्यय प्रदान किए जाएंगे। तथापि कुछ लेखा शीर्षों के तहत किए गए व्यय आवंटित बजट से अधिक हो सकते हैं जोकि बजट निर्माण के समय अप्रत्याशित होते हैं। जैसे नए स्टेशनों का खुलना, अतिरिक्त सेवा/सेवाओं का प्रचालन, उड़ान घंटों में वृद्धि, किराए, ड्यूटी एवं करों में वृद्धि, टैरिफ में वृद्धि आदि। नीचे दिए गए प्राधिकारियों को ऐसे आवर्ती/गैर-आवर्ती राजस्व व्यय किसी भी हेड के तहत उल्लेखित सीमा तक व्यय करने का अधिकार है चाहे वह राजस्व व्यय बजट में दी गई राशि से अधिक हो या नहीं हो। तथापि यह मामला संशोधित बजट में बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर :

प्राधिकारी	**किसी एक मद की सीमा**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक-वित्त	राजस्व व्यय बजट में जिसका किसी शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया है उसके लिए वर्ष में कुल 3 करोड़ रुपए। व्यक्तिगत मामलों में 1.50 करोड़ रुपए से अधिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक की सहमति से दिए जाएंगे।
निदेशक-वाणिज्य/ निदेशक-कार्मिक/ निदेशक-प्रचालन/ कार्यपालक निदेशक-वित्त	राजस्व व्यय बजट में जिसका किसी शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया है उसके लिए वर्ष में कुल 2 करोड़ रुपए। व्यक्तिगत मामलों में 1 करोड़ रुपए से अधिक के लिए निदेशक-वित्त की सहमति से दिए जाएंगे।

6. **कॉन्ट्रेक्ट**

उपयुक्त बजट हेड के तहत उपलब्ध फंड तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत व्यय के अधीन और समय-समय पर निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट अधिकारी केटरिंग का कॉन्ट्रेक्ट/आउटसोर्सिंग/होटल आवास लीज़ या इज़ाजत एवं अनुज्ञप्ति या किसी भी अन्य आधार पर कोई भी परिसर लेने/तकनीकी या अन्य सेवा आदि उल्लेखित सीमा के भीतर प्रदान करने, के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

I. कार्यों के निष्पादन, उपकरण की आपूर्ति, स्पेयर पार्टस् तथा अन्य स्टोर्स तथा/या कंपनी द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए अवार्ड तथा आदेश देना और इसके लिए उपयुक्त कॉन्ट्रेक्ट के निष्पादन को प्राधिकृत करना या निष्पादित करना।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर :

प्राधिकारी	**सीमा (कॉन्ट्रेक्ट का मूल्य)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक-वित्त	24 करोड़ रुपए
निदेशक-वाणिज्य	16 करोड़ रुपए
निदेशक-कार्मिक/ निदेशक-प्रचालन	10 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक-वित्त	16 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक-सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक-विक्रय तथा विपणन कार्यपालक निदेशक-यात्री सेवाएं	12 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक-सूचना प्रौद्योगिकी कार्यपालक निदेशक-इंजीनियरी कार्यपालक निदेशक-ग्राउंड हैंडलिंग कार्यपालक निदेशक-कार्गो	10 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक-स्ट्रैटिजी एंड नेटवर्क प्लानिंग कार्यपालक निदेशक-प्रचालन कार्यपालक निदेशक-उड़ान सुरक्षा कार्यपालक निदेशक-प्रशिक्षण कार्यपालक निदेशक-सुरक्षा कार्यपालक निदेशक-विक्रय तथा विपणन	6 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक-कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क कार्यपालक निदेशक-निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक-आईओसीसी एंड सीएमएस कार्यपालक निदेशक-परियोजना कार्यपालक निदेशक-मुख्यालय कार्यपालक निदेशक-राजस्व प्रबंधन कंपनी सचिव	4 करोड़ रुपए
क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पूर्वी क्षेत्र	12 करोड़ रुपए

क्षेत्रीय प्रबंधक (अमेरिका) क्षेत्रीय प्रबंधक (यूके एंड यूरोप) क्षेत्रीय प्रबंधक (गल्फ, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका) क्षेत्रीय प्रबंधक (एशिया/पैसिफिक)	800,000 अमरीकी डॉलर
महाप्रबंधक-गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं महाप्रबंधक-संपत्ति तथा सुविधाएं महाप्रबंधक-चिकित्सा सेवाएं महाप्रबंधक-आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभागीय प्रमुख - निगमित/क्षेत्रीय	2 करोड़ रुपए
अनुभागीय प्रधान - निगमित/क्षेत्रीय	1.50 करोड़ रुपए
अनुभागीय प्रधान - निगमित/क्षेत्रीय	1 करोड़ रुपए

II. प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के दस्तावेज के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार किसी व्यक्ति(यों) के साथ रोजगार के कॉन्ट्रेक्ट के निष्पादन को प्राधिकृत या निष्पादित करना।

III. कंपनी के लिए अपेक्षित किसी परिसर को लीज़ या इज़ाजत एवं अनुज़प्ति या अन्य किसी आधार पर लेना तथा कंपनी की ओर से डीड ऑफ लीज़ के निष्पादन, इज़ाजत एवं अनुज़प्ति अनुबंध तथा अन्य दस्तावेज़ तथा अनुबंध के लिए प्राधिकृत या निष्पादित करना।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर :

प्राधिकारी	**सीमा (प्रत्येक कॉन्ट्रेक्ट का वार्षिक मूल्य)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक-वित्त/निदेशक-वाणिज्य/निदेशक-कार्मिक/ निदेशक-प्रचालन	1.50 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक-वित्त कार्यपालक निदेशक-निगमित कार्य	75 लाख रुपए
कार्यपालक निदेशक-सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक-सूचना प्रौद्योगिकी महाप्रबंधक-संपत्ति एवं सुविधाएं क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पूर्वी क्षेत्र	50 लाख रुपए
क्षेत्रीय प्रबंधक (अमेरिका) क्षेत्रीय प्रबंधक (यूके एंड यूरोप) क्षेत्रीय प्रबंधक (गल्फ, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका) क्षेत्रीय प्रबंधक (एशिया/पैसिफिक)	500,000 अमरीकी डॉलर

IV. कंपनी की ओर से तकनीकी या अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा किसी कॉन्ट्रेक्ट, अनुबंध और अन्य दस्तावेज़ों के निष्पादन को प्राधिकृत या निष्पादित करना तथा इसके संबंध में लेख:

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर :

प्राधिकारी	**सीमा (प्रत्येक कॉन्ट्रेक्ट का वार्षिक मूल्य)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक-वित्त/निदेशक-वाणिज्य/निदेशक-कार्मिक/ निदेशक-प्रचालन	1.50 करोड़ रुपए

कार्यपालक निदेशक - वित्त कार्यपालक निदेशक - निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक - कार्गो क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय प्रबंधक - अमरीका क्षेत्रीय प्रबंधक - यूके एवं यूरोप क्षेत्रीय प्रबंधक - गल्फ, मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका क्षेत्रीय प्रबंधक - एशिया/पेसिफिक	75 लाख रुपए 100,000 यूएसडी
कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन/कार्यपालक निदेशक - सूचना प्रौद्योगिकी/कार्यपालक निदेशक- सुरक्षा	50 लाख रुपए

(V) कंपनी के किसी परसिर को पट्टे पर अथवा लीज एवं लाइसेंस पर अथवा किसी अन्य आधार पर देना तथा कंपनी के किसी उपकरण को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा किसी अन्य आधार पर देना और ऐसी कोई व्यवस्था करना जिसे कंपनी के हित में श्रेष्ठतम माना जाए तथा लीज़ व्यवस्थाओं की डीड़ को अथवा लीज एवं लाइसेंस, किराया करारों तथा अन्य दस्तावेजों तथा उससे संबंधित लेखों को कार्यान्वित करना अथवा कार्यान्वयन को प्राधिकृत करना।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर पर:

प्राधिकारी	सीमाएं (प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट का वार्षिक मूल्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक- वित्त/निदेशक- वाणिज्य/निदेशक - प्रचालन	1.50 करोड़ रुपए
कार्यपालक निदेशक - वित्त कार्यपालक निदेशक - निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक - सूचना प्रैद्योगिकी कार्यपालक निदेशक - सुरक्षा महाप्रबंधक - संपत्ति एवं सुविधाएं महाप्रबंधक - चिकित्सा सेवाएं क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	75 लाख रुपए
क्षेत्रीय प्रबंधक - अमरीका क्षेत्रीय प्रबंधक - यूके एवं यूरोप क्षेत्रीय प्रबंधक - गल्फ, मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका क्षेत्रीय प्रबंधक - एशिया/पेसिफिक	50 लाख रुपए

(VI) कंपनी के हित में प्रतिधारण - शुल्क आधार पर कोई परामर्शदाता नियुक्त करना।

निगमित कार्य - निगमित/क्षेत्रीय स्तर पर:

प्राधिकारी	सीमाएं (प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट का वार्षिक मूल्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक- वित्त	1.50 करोड़ रुपए
निदेशक- वाणिज्य/निदेशक - कार्मिक/निदेशक - प्रचालन	50 लाख रुपए
कार्यपालक निदेशक - वित्त	12 लाख रुपए
कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन	4 लाख रुपए
कार्यपालक निदेशक - विक्रय एवं विपणन	
कार्यपालक निदेशक - यात्री सेवाएं	
कार्यपालक निदेशक - स्ट्रेटेजी एंड नेटवर्क प्लानिंग	
कार्यपालक निदेशक - सूचना प्रौद्योगिकी	
कार्यपालक निदेशक - सुरक्षा	
कार्यपालक निदेशक - कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क	
कार्यपालक निदेशक - निगमित कार्य	
कार्यपालक निदेशक - इंजीनियरिंग	
कार्यपालक निदेशक - ग्राउंड हैंडलिंग	
कार्यपालक निदेशक - कार्गो	
कार्यपालक निदेशक - प्रचालन	
कार्यपालक निदेशक - प्रशिक्षण	
कार्यपालक निदेशक - उड़ान सुरक्षा	
कार्यपालक निदेशक - आईओसीसी एवं सीएमएस	
कार्यपालक निदेशक - परियोजना	
कार्यपालक निदेशक - मुख्यालय	
कार्यपालक निदेशक - राजस्व प्रबंधन	
कंपनी सचिव	
महाप्रबंधक - गुणवत्ता प्रबंधन सुविधाएं	
महाप्रबंधक - विधि	
महाप्रबंधक - संपत्ति एवं सुविधाएं	
महाप्रबंधक - चिकित्सा सेवाएं	
महाप्रबंधक - आंतरिक लेखा परीक्षा	
क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र	
क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र	
क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र	6000 यूएसडी
क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	
क्षेत्रीय प्रबंधक - अमरीका	
क्षेत्रीय प्रबंधक - यूके एवं यूरोप	
क्षेत्रीय प्रबंधक - गल्फ मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका	
क्षेत्रीय प्रबंधक - एशिया/पेसिफिक	

7 **पूंजीगत परिसंपत्तियों को स्क्रैप करना तथा बट्टे खाते में डालना:**

क) **पूंजीगत परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना - प्रत्येक मद की अर्जन लागत निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो:**

ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन जो निर्धारित किए जाएं, नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियों को स्क्रैप करने और/अथवा बट्टे खाते में डालने तथा निपटान को मंजूरी देने

के लिए प्राधिकृत हैं जो अनसर्विसेबल हो चुकी हैं अथवा नीचे दर्शाई गई सीमा तक मित्तव्ययी मरम्मत से परे/खोई हुई/अप्रचलित मानी गई हैं:

निगमित कार्य - निगमित/ क्षेत्रीय स्तर पर :

प्राधिकारी	सामान्य टूट-फूट के कारण (रुपए)	चोरी/धोखा-धड़ी/ लापरवाही के कारण (रुपए)	अप्रचलित/दुर्घटना/ अन्य कारणों से (रुपए)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
निदेशक - वित्त	6 करोड़	1 करोड़	1.2 करोड़
निदेशक - वाणिज्य	4 करोड़	1 करोड़	1.2 करोड़
निदेशक - कार्मिक/निदेशक - पच्रालन	3 करोड़	1 करोड़	1.2 करोड़
कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक - स्ट्रेटेजी एंड नेटवर्क प्लानिंग कार्यपालक निदेशक - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यपालक निदेशक - विक्रय एवं विपणन कार्यपालक निदेशक - यात्री सेवाएं कार्यपालक निदेशक - प्रचालन कार्यपालक निदेशक - उड़ान सुरक्षा कार्यपालक निदेशक - प्रशिक्षण कार्यपालक निदेशक - सुरक्षा कार्यपालक निदेशक - आईओसीसी एवं सीएमएस कार्यपालक निदेशक - परियोजना कार्यपालक निदेशक - मुख्यालय कार्यपालक निदेशक - राजस्व प्रबंधन कंपनी सचिव महाप्रबंधक - गुणवत्ता प्रबंधन सुविधाएं महाप्रबंधक - संपत्ति एवं सुविधाएं कार्यपालक निदेशक - वित्त कार्यपालक निदेशक - कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क कार्यपालक निदेशक - निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक - इंजीनियरिंग कार्यपालक निदेशक - ग्राउंड हैंडलिंग कार्यपालक निदेशक - कार्गो	1 करोड़	6 करोड़	60 लाख
क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	1 करोड़	6 लाख	60 लाख
क्षेत्रीय प्रबंधक - अमरीका क्षेत्रीय प्रबंधक - यूके एवं यूरोप क्षेत्रीय प्रबंधक - गल्फ, मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका क्षेत्रीय प्रबंधक - एशिया/पेसिफिक	150,000 यूएसडी	9,000 यूएसडी	9,000 यूएसडी
महाप्रबंधक - चिकित्सा सेवाएं महाप्रबंधक - आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभागीय प्रमुख - निगमित/क्षेत्रीय	30 लाख	--	--

अनुभागीय प्रमुख - निगमित/क्षेत्रीय	10 लाख	--	--
कंट्री प्रबंधक /स्टेशन प्रबंधक	40,000		

नोट : 1. कोई भी परिसंपत्ति इस उद्देश्य हेतु गठित स्क्रैप बोर्ड की सिफारिश के बिना बट्टे खाते में नहीं डाली जाएगी।

2. किसी परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डालने का कोई भी प्रस्ताव जिसका कोई असामान्य पहलू हो, उसे वित्त विभाग को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा तथा अन्य सक्रैपेज कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा आरंभ की जाएगी।

3. चोरी/धोखा-धड़ी/आपराधिक लापरवाही के कारण प्रत्येक मामले में बट्टे खाते में डाली जाने वाली 12 लाख रुपए से अधिक की राशि तथा अन्य मामलों में 60 लाख रुपए की राशि की सूचना बोर्ड को दी जाएगी।

ख) निपटान:

1. सर्विसेबल स्थिति वाली आवश्यकता से अधिक मदों के निपटान के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/निदेशक - वित्त/निदेशक - वाणिज्य/निदेशक- कार्मिक/निदेशक- प्रचालन, का अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा निपटान की कार्रवाई कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन द्वारा आरंभ की जाएगी।

8. विमान स्टोर्स एवं स्पेयर्स को स्क्रैप करना, बट्टे - खाते में डालना, निपटान करना तथा अप्रचलित घोषित करना :

ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन जो निर्धारित किए जाएं, नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे विमान स्टोर्स एवं स्पेयर्स की स्क्रैपिंग की मंजूरी देने तथा निपटान का आदेश देने के लिए प्राधिकृत हैं जो अनसर्विसेबल हो चुके हैं अथवा अनुरक्षण, ओवरहॉल, सर्विसिंग की सामान्य प्रक्रिया में मित्तव्ययी मरम्मत से परे हैं तथा नीचे दर्शाई गई सीमा तक विमान, पावर प्लांट तथा एक्सेसरीज इत्यादि और चोरी, धोखा-धडी, लापरवाही के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत हैं :

निगमित कार्य - निगम/ क्षेत्रीय स्तर पर :

प्राधिकारी	**प्रत्येक मद की अर्जन लागत नीचे निर्धारित की गई सीमा से अधिक न हो:**		
	सामान्य टूट-फूट के कारण (रुपए)	**चोरी/धोखा-धड़ी/ लापरवाही के कारण (रुपए)**	**अप्रचलित/दुर्घटना/ अन्य कारणों से (रुपए)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
निदेशक - वित्त	3 करोड़	60 लाख	1.5 करोड़
कार्यपालक निदेशक - वित्त कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक - इंजीनियरी कार्यपालक निदेशक - प्रशिक्षण	1.2 करोड़	25 लाख	60 लाख
क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	1.2 करोड़	25 लाख	60 लाख

नोट :

1. कोई भी मद इस उद्देश्य हेतु गठित स्क्रैप बोर्ड की सिफारिश के बिना बट्टे खाते में नहीं डाली जाएगी। स्क्रैप बोर्ड में प्रयोक्ता यूनिट के प्रमुख, वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि तथा सामग्री प्रबंधन विभाग का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाएगा।
2. सामान्य टूट-फूट और अप्रचलित मदों के 60 लाख रुपए से अधिक राशि के मामले तथा अन्य मदों के 12 लाख रुपए तक के सभी मामले बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।

9. गैर- विमान स्टोर्स एवं स्पेयर्स को स्क्रैप करना, अप्रचलित घोषित करना, निपटान करना तथा बट्टे खाते में डालना:

ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन जो निर्धारित किए जाएं, नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को ऐसे गैर-विमान स्टोर्स एवं स्पेयर्स की स्क्रैपिंग की मंजूरी देने तथा निपटान का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है जो अनसर्विसेबल हो चुके हैं अथवा अनुरक्षण, ओवरहॉल, सर्विसिंग, मरम्मत इत्यादि की सामान्य प्रक्रिया में मित्तव्ययी मरम्मत से परे हैं तथा नीचे दर्शाई गई सीमा तक चोरी, धोखा धडी, लापरवाही अथवा किन्हीं अन्य कारणों से बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत हैं:

निगमित कार्य - निगमित/ क्षेत्रीय स्तर पर :

प्राधिकारी	प्रत्येक मद की अर्जन लागत निम्नलिखित से अधिक न हो:		
	सामान्य टूट-फूट के कारण (रुपए)	चोरी/धोखा-धड़ी/ लापरवाही के कारण (रुपए)	अप्रचलित/दुर्घटना/अन्य कारणों से (रुपए)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	निदेशक- वित्त
निदेशक - वित्त	2 करोड़	1 करोड़	
निदेशक - वाणिज्य/निदेशक -कार्मिक/निदेशक - प्रचालन	1 करोड़	50 लाख	निदेशक- वित्त
कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक - स्ट्रेटेजी एंड नेटवर्क प्लानिंग कार्यपालक निदेशक - विक्रय एवं विपणन कार्यपालक निदेशक - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यपालक निदेशक - उड़ान सुरक्षा कार्यपालक निदेशक - प्रशिक्षण कार्यपालक निदेशक - यात्री सेवाएं कार्यपालक निदेशक - सुरक्षा कार्यपालक निदेशक - आईओसीसी एवं सीएमएस कार्यपालक निदेशक - परियोजना कार्यपालक निदेशक - मुख्यालय कार्यपालक निदेशक - राजस्व प्रबंधन कंपनी सचिव महाप्रबंधक - गुणवत्ता प्रबंधन सुविधाएं महाप्रबंधक - संपत्ति एवं सुविधाएं कार्यपालक निदेशक - वित्त कार्यपालक निदेशक - कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क कार्यपालक निदेशक - निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक - इंजीनियरिंग	12 लाख	2.5 लाख	का.निदेशक- वित्त

कार्यपालक निदेशक - ग्राउंड हैंडलिंग कार्यपालक निदेशक - कार्गो			
क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	12 लाख	2.5 लाख	का.निदेशक-वित्त
क्षेत्रीय प्रबंधक - अमरीका क्षेत्रीय प्रबंधक - यूके एवं यूरोप क्षेत्रीय प्रबंधक - गल्फ मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका क्षेत्रीय प्रबंधक - एशिया/पेसिफिक	18,000 यूएसडी	4,000 यूएसडी	
प्रभागीय प्रमुख - सामग्री प्रबंधन (निगमित एवं क्षेत्रीय)	60,000	12,000	

नोट :

1. कोई भी मद इस उद्देश्य हेतु गठित स्क्रैप बोर्ड की सिफारिश के बिना बट्टे खाते में नहीं डाली जाएगी। स्क्रैप बोर्ड मं प्रयोक्ता यूनिट के प्रमुख, वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि तथा सामग्री प्रबंधन विभाग का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाएगा।
2. सामान्य टूट-फूट और अप्रचलित मदों के 60 लाख रुपए से अधिक राशि के मामले तथा अन्य मदों के 12 लाख रुपए तक के सभी मामले बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।

10. स्टोर की हानियों, कमियों, विलंब प्रभारों, पेनल्टी इत्यादि को बट्टे खाते में डालना :

ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन जो निर्धारित किए जाएं, नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामग्री की अतिशय मदों के समायोजनों को मंजूर करने का अधिकार प्राप्त है तथा वास्तविक सत्यापन के परिणामस्वरूप पाई गई स्टेार की हानियों, कमियों अथवा सामग्री के क्रय, सफाई, स्टोरिंग एवं निर्गम के सामान्य कार्यों के फलस्वरूप उद्भूत पेनल्टी (जुर्माना), विलंब प्रभारों इत्यादि को बट्टे - खाते में डालने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है।

निगमित कार्य - निगम/ क्षेत्रीय स्तर पर :

प्राधिकार	प्रत्येक मामले में अथवा/एक समय पर सीमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार
निदेशक - वित्त	60 लाख रुपए
निदेशक - वाणिज्य	30 लाख रुपए
कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	1.2 लाख रुपए
प्रभागीय प्रमुख - सामग्री प्रबंधन (निगमित एवं क्षेत्रीय)	60000 रुपए
अनुभागीय प्रमुख - सामग्री प्रबंधन (निगमित एवं क्षेत्रीय)	12000 रुपए

11. अवसूलीय कर्जों, अग्रिमों, ऋणों एवं अन्य देयों को बट्टे खाते में डालना :

ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन जो निर्धारित किए जाएं, नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को कर्मचारियों अथवा बाहरी पार्टियों की ओर से देय मामलों में कर्जों, अग्रिमों, ऋणों और/अथवा देयों को बट्टे-खाते में डालने को प्राधिकृत करने का अधिकार है।

क) जहां देय राशि अवसूलीय (अप्रतिसंहरणीय) मानी गई है; अथवा

ख) जहां वसूली में सम्मिलित होने वाली व्यय राशि सम्मिलित देयों की राशि से अन-अनुपातिक (वेमेल) है; अथवा

ग) जहां कानूनी कार्यवाही वांछनीय नहीं मानी गई हैं।

निगमित कार्य - निगम/ क्षेत्रीय स्तर पर :

प्राधिकारी	प्रत्येक मामले में सीमा (रुपए|		की सहमति से
	कर्मचारीगण	अन्य पार्टियां	
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
निदेशक- वित्त	3 लाख	60 लाख	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक
निदेशक- वाणिज्य/निदेशक - कार्मिक/निदेशक - प्रचालन	2.4 लाख	40 लाख	निदेशक-वित्त
कार्यपालक निदेशक - वित्त	12000	1.2 लाख	निदेशक-वित्त
कार्यपालक निदेशक - सामग्री प्रबंधन कार्यपालक निदेशक - स्ट्रेटेजी एंड नेटवर्क प्लानिंग कार्यपालक निदेशक - प्रचालन कार्यपालक निदेशक - प्रशिक्षण कार्यपालक निदेशक - उड़ान सुरक्षा कार्यपालक निदेशक - विक्रय एवं विपणन कार्यपालक निदेशक - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यपालक निदेशक - सुरक्षा कार्यपालक निदेशक - आईओसीसी एवं सीएमएस कार्यपालक निदेशक - परियोजना कार्यपालक निदेशक - मुख्यालय कार्यपालक निदेशक - राजस्व प्रबंधन कंपनी सचिव महाप्रबंधक - गुणवत्ता प्रबंधन सुविधाएं महाप्रबंधक - संपत्ति एवं सुविधाएं महाप्रबंधक - चिकित्सा सेवाएं कार्यपालक निदेशक - यात्री सेवाएं कार्यपालक निदेशक - कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क कार्यपालक निदेशक - निगमित कार्य कार्यपालक निदेशक - इंजीनियरिंग कार्यपालक निदेशक - ग्राउंड हैंडलिंग कार्यपालक निदेशक - कार्गो	12000	1.2 लाख	निदेशक-वित्त
क्षेत्रीय निदेशक - उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक - पूर्वी क्षेत्र	12000	1.2 लाख	का.निदेशक-वित्त

आरएम-अमरीका आरएम-यूके तथा यूरोप आरएम-गल्फ, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका आरएम-एशिया/पैसिफिक	150 यूएस डॉलर	1,500 यू एस डॉलर	का. निदेशक वित्त
प्रभागीय प्रमुख (निगमित तथा क्षेत्रीय विदेश)		80000	का. निदेशक वित्त

12. नकदी का नुकसान

नीचे निर्दिष्ट अधिकारियों को चोरी, धोखाधड़ी, लापरवाही अथवा दैवी घटनाओं (जो बीमा से पुन: प्राप्त करने योग्य नहीं होते अथवा अन्यथा के कारण नकदी के नुकसान को निम्नलिखित सीमा तक प्राधिकृत करने का अधिकार दिया गया है:

निगमित कार्य -निगमित/क्षेत्रीय स्तर:

अधिकारी	प्रत्येक मामले में सीमाएं (रूपए)	की सहमति से
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	4 लाख	
निदेशक-वित्त	1.5 लाख	
निदेशक-वाणिज्य/निदेशक-कार्मिक/निदेशक प्रचालन	1 लाख	निदेशक-वित्त
का. निदेशक-वित्त	50000	निदेशक-वित्त
का. निदेशक-सामग्री प्रबंधन का. निदेशक-स्ट्रैटजी एडं नेटवर्क प्लानिंग का. निदेशक-सूचना प्रौद्योगिकी का. निदेशक-यात्री सेवाएं का. निदेशक-सुरक्षा का. निदेशक-विक्रय एवं विपणन का. निदेशक-आईओसीसी एंड सीएमएस का. निदेशक-प्रचालन का. निदेशक-कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क का. निदेशक-उड़ान सुरक्षा का. निदेशक-प्रशिक्षण का. निदेशक-निगमित कार्य का. निदेशक-इंजीनियरिंग का. निदेशक-स्थल सहायता का. निदेशक-कार्गो का. निदेशक-परियोजना का. निदेशक-मुख्यालय का. निदेशक-राजस्व प्रबंधन कंपनी सचिव महाप्रबंधक-गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं महाप्रबंधक-संपत्ति एवं सुविधाएं महाप्रबंधक-चिकित्सा सेवाएं महाप्रबंधक-आंतरिक लेखा परीक्षा क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक-पूर्वी क्षेत्र	12000	का. निदेशक-वित्त

आरएम-अमरीका आरएम-यूके एवं यूरोप आरएम-गल्फ, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका आरएम-एशिया/पैसिफिक	600 यूएस डॉलर	का. निदेशक-वित्त
प्रभागीय प्रमुख (निगमित तथा क्षेत्रीय) विदेश	300 यूएस डॉलर	का. निदेशक-वित्त

13. खंड 7 से 12 संबंधित नोट:

चोरी, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुए नुकसान, इत्यादि को अनुमोदित करते समय खंड 7 से 12 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित जांच करने के बाद उचित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

14. समय-बाधित टिकटों/दस्तावेजों की धनवापसी:

टिकटें उन्हें जारी करने की तिथि से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने पर टाइम-बार्ड हो जाती हैं। निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार नीचे दिए गए अधिकारी टाइम-बार्ड हुई टिकट की आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप में धनवापसी को प्राधिकृत कर सकते हैं यदि ऐसी धनवापसी कंपनी के हित के लिए आवश्यक हो।

अधिकारी	समय सीमा
भारत में क्षेत्रों के महाप्रबंधक-वाणिज्य आरएम विदेश	टाइम बार्ड होने की तिथि से 24 माह तक बशर्ते कि क्रेडिट लेखा बहियों में खुला हो

15. संस्थानों की सदस्यता का अंशदान तथा क्रय

बजट में प्रावधानों के अधीन, नीचे दिए गए अधिकारियों को निर्दिष्ट सीमा के अंदर संस्थानों की सदस्यताएं प्राप्त करने के लिए व्यय को मंजूर करने का अधिकार है, यदि वे इससे संतुष्ट हैं कि ऐसे संस्थानों की ऐसी सदस्यता कंपनी के हित में है।

अधिकारी	संस्थानों की सदस्यता/(सदस्यताओं) की सीमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	संपूर्ण शक्तियां
निदेशक-वाणिज्य/निदेशक-वित्त/निदेशक-कार्मिक/निदेशक प्रचालन	1 लाख रुपए
कार्यपालक निदेशक	50,000 रुपए

16. प्रतिपूरक तथा भूतपूर्व भुगतान एवं आउट ऑफ कोर्ट समझौते:

नीचे दिए गए अधिकारियों को निदेशक (वित्त)/का.निदेशक (वित्त) की सहमति से अपने कर्मचारियों तथा कंपनी के ग्राहकों को धनवापसी, प्रतिपूरक अथवा भूतपूर्व भुगतान या आउट ऑफ कोर्ट समझौते को उस निर्दिष्ट सीमा तक मंजूर करने का अधिकार दिया गया है जहां ऐसी धनवापसियों के भुगतान कंपनी के हित में आवश्यक समझे जाएं अथवा गुडविल बनाए रखने के लिए वांछित हो:

अधिकारी	सीमा (रूपए)	को सूचित किया जाए
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक	15 लाख	7.5 लाख रुपए से ज्यादा की मंजूरी हेतू बोर्ड को सूचित किया जाए
निदेशक-वाणिज्य/ निदेशक-वित्त/निदेशक-कार्मिक/निदेशक प्रचालन	6 लाख	3 लाख रुपए से ज्यादा की मंजूरी हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक को सूचित किया जाए
कार्यपालकनिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबंधक-विधि	किसी भी एक मामले में 1.2 लाख	
प्रभागीय प्रमुख (निगमित तथा क्षेत्रीय) केवल विदेश	किसी भी एक मामले में 900 यूएस डॉलर	
अनुभागीय प्रधान (निगमित) केवल विदेश	किसी भी एक मामले में 450 यूएस डॉलर	
अनुभागीय यूनिट प्रधान (क्षेत्रीय) केवल विदेश	किसी भी एक मामले में 250 यूएस डॉलर	
एयरपोर्ट प्रबंधक	किसी भी एक मामले में 8000/-	
ड्यूटी प्रबंधक	किसी भी एक मामले में 4000/-	

17. स्थायी अग्रिम, पेशगी तथा धनवापसी प्रारंभ करना:

का. निदेशक-वित्त/क्षेत्रों पर महाप्रबंधक-वित्त को कंपनी के किसी भी अधिकारी के मामले में आवश्यक मानी गई सीमा तक स्थायी अग्रिमों, पेशगी प्रारंभ करने, धनवापसी प्रारंभ करने तथा अस्थायी अग्रिमों की व्यवस्था को अधिकृत करने के लिए समय-समय पर निर्धारित ऐसे दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अधिकार प्रदान किया गया है।

18. ऋण तथा अग्रिम

क) ऋण:

इस तरह के नियमों, विनियमों तथा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार नीचे दिए गए अधिकारी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कंपनी के कर्मचारियों को ऋण देने के लिए प्राधिकृत हैं। स्वीकृत किए गए इस प्रकार के सभी ऋण किए गए बजट आबंटन के अंतर्गत होंगे तथा इनकी सूचना का. निदेशक-वित्त को दी जाएगी।

अधिकारी	ऋणका प्रकार
का.निदेशक-निगमित कार्य	सभी प्रकार के आवास ऋण, वहन ऋण तथा विविध ऋण
क्षेत्रीय निदेशक/प्रमुख	सभी प्रकार के आवास ऋण, वाहन ऋण तथा विविध ऋण

ख) **अग्रिम:**

का. निदेशक-निगमित कार्य, क्षेत्रीय निदेशक/प्रमुख बाढ़, बवण्डर तथा आपवादिक गंभीरता के अन्य प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य कष्ट से प्रभावित कर्मचारी को 60,000/- रुपए अथवा 3 माह का पीएफ वेतन, जो भी कम हो, तक ब्याज रहित अग्रिम की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत हैं ताकि उन्हें इस प्रकार के आपातकालीन अथवा विपत्ति का सामना।

19. विशेष भुगतान तथा रिवार्ड

क) **विशेष भुगतान**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त) से परामर्श करके क्रमश: 12 लाख प्रति कार्य तक तथा 10 लाख प्रति कार्य के लिए व्यय की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत हैं।

ख) **रिवार्ड**

नीचे दिए गए अधिकारी उत्कृष्ट सेवा, अनुकरणीय साहस, निष्ठा,सृजनात्मकता तथा अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण हेतु किसी भी मामले के लिए निम्नलिखित सीमा तक कंपनी के किसी भी कर्मचारी को रिवार्ड अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत हैं:

अधिकारी	प्रति मामला सीमा (रुपए)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/प्रबंध निदेशक	1,20,000/-
निदेशक(वाणिज्य)/निदेशक(वित्त)/निदेशक(कार्मिक)/निदेशक प्रचालन	60,000/-
कार्यपालक निदेशक	12,000/-

20. टैरिफ/दरें

निदेशक (वाणिज्य), का.निदेशक-विक्रय एवं विपणन/का.निदेशक-कार्गो/महाप्रबंधक-राजस्व प्रबंधन - वाणिज्य, मुख्यालय अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रतियोगी परिदृश्य को देखते हुए विभिन्न प्रचालनों/कार्यों के लिए टैरिफ/दरें निर्धारित करेंगे। यदि प्राप्त कुल राजस्व प्रचालनों/प्रचालन सेवा/कार्यों के नगद लागत से कम है तो टैरिफ/दरें केवल कम अवधि के लिए मैंटेन की जाएंगी। राजस्व को बढ़ाने के लिए नियमित आवधिक आधार पर टैरिफ/दरों के निर्धारण की समीक्षा की जानी चाहिए। क्षेत्रों पर महाप्रबंधक-वाणिज्य को समय-समय पर बने नियमों तथा नीतियों के अनुसार छूट देने/अतिरिक्त बैगेज की छूट/धनवापसी/रद्दकरण प्रभार के अनुमोदन करने का अधिकार होगा।

एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के माध्यम से संबंधित प्रमुख द्वारा किराए/मार्ग के निष्पादन की नियमित रूप से जांच की जाएगी ताकि किसी भी किराए परिवर्तन की क्षमता की तुलना में उत्पन्न यातायात का पता लगाया जा सके तथा इन कार्यों के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक(वाणिज्य) द्वारा बनाई गई समिति जैसे आरआरसी के साथ परामर्श करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

21. लक्ष्य निर्धारण

राजस्व तथा प्रत्यक्ष पैरामीटरों जैसे एटीकेएमएस, आरटीकेएमएस, लोड घटक, यात्रियों की संख्या, लब्धि तथा अन्य लागू पैरामीटरों के संबंध में लक्ष्यों को का. निदेशक-विक्रय एवं विपणन/का.निदेशक-कार्गो द्वारा सेट किया जाएगा। इन लक्ष्यों की सूचना क्षेत्रों/स्टेशनों/एक्टिविटी सेंटरों को दी जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी जवाबदेह होगा।

22. अधिशेष निधियों का निवेश

अध्यक्ष एव्र प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) को समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा सौंपी गई शक्तियों के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश करने का अधिकार होगा।जब कभी भी कंपनी द्वारा कोई निवेश किया जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किए जाने वाले निवेश के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय अथवा भारत सरकार के अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

**वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के साधन के
अभ्यास के लिए दिशा-निर्देश**

1. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के साधन के पैरा 3 में विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य स्थितियां बताई गई हैं। प्रत्यायोजित शक्तियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके प्रशासनिक क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र के अंदर प्रयोग किया जा सकता है।

2. शक्तियों का प्रत्यायोजन विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को पूंजी तथा राजस्व व्यय को मंजूरी देने, परिसंपत्तियों/बुक ऋणों/नकद की हानि को बट्टे खाते में डालने, विमान तथा गैर विमान भंडारों की स्क्रैपिंग तथा निपटान करने तथा भंडारों, सिविल कार्यों/अन्य इत्यादि के लिए अनुबंधों को करने के लिए वित्तीय सीमा प्रदान करता है।

3. प्रत्यायोजित शक्तियां सक्षम अधिकारियों को केवल व्यय की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत करती हैं तथा ये प्रत्यायोजन उन्हें खरीद प्रक्रिया अथवा सामानों के प्रापण या सिविल कार्यों से संबंधित समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों को ओवर राइड करने के लिए प्राधिकृत नहीं करते ।

4. प्रत्यायोजित शक्तियों की आर्थिक सीमा संपूर्ण परियोजना पर लागू होती है तथा परियोजना को निम्न प्राधिकरण के सक्षमता के अंदर लाने के लिए विभाजित नहीं किया जाए। यह एक बुनियादी वित्तीय सिद्धांत है तथा इस सिद्धांत का कोई भी उल्लंघन होने पर इसे गंभीरता से देखा जाएगा।

5. वह अधिकारी, जिसे शक्तियां सौंपी गई हैं,वह जिस हद तक वे आवश्यक समझे जाएं, अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय उचित स्तरों पर वित्त कार्य के अधिकारियों से परामर्श कर सकता है।

पूंजी व्यय

6. बजट आबंटन का. निदेशक-वित्त द्वारा निगमित कार्यों के प्रमुखों/निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुखों/क्षेत्रीय प्रमुखों को सौंपा जाएगा। निगमित कार्यों के प्रमुख/निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख संबंधित विभागों/स्टेशनों को बजट आबंटित करेंगे।

निगमित कार्यों के का. निदेशक/निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रमुख उन्हें सौंपे गए आबंटनों को विभिन्न सब यूनिटों/स्टेशन प्रबंधकों/एयरपोर्ट प्रबंधकों को पुन: आबंटित करेंगे। प्रत्येक यूनिट/सब यूनिट स्टेशन प्रबंधक/एयरपोर्ट प्रबंधक प्रत्येक माह का. निदेशक-वित्त को जारी मंजूरियों की विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

पूंजी व्यय (बिल्डिंग परियोजनाएं)

7. परियोजना का ढांचा तैयार करते समय क्षेत्रों के का. निदेशक/का. निदेशक-निगमित कार्य/महाप्रबंधक-पी एवं एफ के साथ लगातार संपर्क रखेंगे। महाप्रबंधक-पी एवं एफ समय-समय पर जब कभी भी इस प्रकार के निदेश प्राप्त करेंगे तब उसकी सूचना क्षेत्रों को देंगे।

8. निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

9. ऐसी स्थितियों में जहां उचित वित्तीय अनुमोदन मौजूद हों वहां 6 करोड़ रुपए तक की लागत के वित्तीय अनुमोदन के लिए का. निदेशक-क्षेत्र कार्य सौंप सकते हैं।

राजस्व व्यय

10. बजट आबंटन का. निदेशक-वित्त द्वारा निगमित कार्यों के प्रमुखों, निगमित कार्यो के यूनिट प्रमुखों तथा क्षेत्रीय प्रमुखों को सौंपा जाएगा। निगमित कार्यों के प्रमुख/निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रमुख संबंधित विभागीय/क्षेत्रीय प्रमुखों को बजट आबंटन का कार्य सौपेंगे ।

निगमित स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर दोनों पर निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुख/डिवीजनल प्रमुख/अनुभागीय प्रमुख इन्स्ट्रूमेंटके पैरा 5 के प्रावधानों के अंदर अधिकांशत: राजस्व व्यय के वहन को प्राधिकृत कर सकते हैं। अत: अनुभागीय प्रधान रेंटल, टैक्स दूरभाष तथा दूर-संचार व्यय विद्युत तथा पानी के बिल, पार्किंग तथा लैंडिंग शुल्क, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के रिपेयर, यात्रियों तथा क्रू के लिए भोजन तथा स्नैक्स को अपलिफ्ट करना तथा अन्य समान व्यय,जहां दरें पहले से ही अनुमोदित कर दी गई थीं, जैसे व्ययों को अनुमोदित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां दरें अनुमोदित नहीं हुई हैं वहां अनुभागीय प्रधान प्रत्येक अवसर पर 10,000/-रुपए तक के व्यय का वहन कर सकते हैं।

11. गैर बजटीय व्यय के वहन हेतु शक्तियों को इस पूर्वानुमान पर प्रत्यायोजित किया गया है कि उन्हें विवेकपूर्वक तथा केवल तब प्रयोग किया जाएगा यदि ऐसे व्यय का वहन अपरिहार्य हो। इन्स्ट्रूमेंट के पैरा 5(ii) के प्रावधान में न आने वाले प्रत्येक मामले में गैर-बजटीय व्यय के कारणों को लिखित में रिकार्ड किया जाएगा। इस अधिकार को इन्स्ट्रूमेंट के पैरा 5(ii) में दी गई सीमाओं के अतिरिक्त वहन करने वाले व्यय को वैध करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

सामान्यत:, गैर-बजटीय व्यय का स्पष्टीकरण तभी उत्पन्न होता है जब यह राजस्व में सुधार करता है। अन्य मामलों में, इस पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिए कि क्या व्यय को अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है। जहां पुनर्विर्योजन र्नियोजन द्वारा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की जाती है, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसी खाते से पुनर्विर्नियोजन किया जाए तथा साथ ही उसी खाते के अंतर्गत वर्ष के व्यय का भी आबंटन कम किया जाएगा।

12. इस प्रावधान के साथ कि सभी दौरे सामान्यत: निगमित कार्यों के प्रमुखों/यूनिट प्रमुखों/यूनिट प्रमुखों/क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे,दैनिक भत्ते की मंजूरी डिवीजनल प्रमुख - निगमित तथा क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा दी जा सकती है।

अनुभागीय प्रधानों के दैनिक भत्ते को डिवीजनल प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुभागीय प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले कमचारियों के दैनिक भत्ते को अनुमोदित करेंगे।

यूनिट प्रमुख – निगमित कार्य/क्षेत्रीय प्रमुख, निगमित कार्यों के प्रमुख अपने दैनिक भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

13. जहां कहीं भी यात्रा भत्ता बिल में दैनिक भत्ते के अलावा कोई अन्य मदें होती हैं तो उनकी संबंधित निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुखों तथा संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा छंटनी की जाती है तथा उन्हें अनुमोदित किया जाता है यदि ऐसे व्यय समय-समय पर जारी अनुदेशों में सम्मिलित हों।

14. विदेशी स्टेशनों पर रिपेयर तथा अनुरक्षण कार्य, विशेष रूप से मोटर ट्रांस्पोर्ट तथा उपकरण को संबंधित अनुभागीय प्रधानों द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। सामान्यत: ऐसे व्ययों को किसी भी एक मामले में 20,000/- रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तथापि, ऐसे उदाहरण भी हैं जब मोटर विहिकलों के कुछ रिपेयर कार्य नहीं किए गए हैं फिर भी टैक्सियों को काफी व्यय पर किराए पर लिया गया है। ऐसे मामलों में स्टेशन प्रबंधक को आवश्यक व्यय उठाना होगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्रमुख को उसकी पूरी सफाई देनी होगी। संबंधित कार्य के लिए बिल के साथ ऐसी सूचना की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

15. आवर्ती/अनावर्ती व्यय के संबंध में बजट से ऊपर वास्तविक व्यय में वृद्धि को क्षेत्रों द्वारा स्पष्टीकरण तथा अन्य सफाई के साथ मासिक विवरणियों में का.निदेशक-वित्त को रिपोर्ट किया जाएगा।

16. ऋण तथा अग्रिम

इन्स्ट्रूमेंट के पैरा 18 के अंतर्गत अनुमत अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक निगमित कार्यालय उसे बाढ़/बवण्डर अथवा प्राकृतिक आपदा न स्वीकार कर ले । ऋण की शर्तें तथा निबंधन निगमित कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित होंगी।

17. विशेष भुगतान तथा अभिदान

विशेष भुगतान तथा अभिदान अपर्याप्त तरीके से तथा विशेष परिसंपत्तियों में प्राधिकृत की जाएगी अन्यथा अवार्डों का मूल्य कम किया जाएगा।

18. परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना

इन्स्ट्रूमेंट के पैरा 7 में परिकल्पित स्क्रैप बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) होल्डिंग यूनिट के यूनिट प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख अथवा उनके नॉमिनी
ख) का.निदेशक-वित्त/महाप्रबंधक-वित्त अथवा उनके नॉमिनी
ग) का.निदेशक-सामग्री प्रबंधन/महाप्रबंधक-सामग्री प्रबंधन अथवा उनके नॉमिनी

I सामान्य टूट-फूट के कारण 01 करोड़ रुपए प्रत्येक से ऊपर की राशि को बट्टे खाते में डालना तथा एयरक्राफ्ट तथा एरो इंजनों को बट्टे खाते में डालने की रिपोर्ट बोर्ड को दी जाए।

II चोरी,धोखाधड़ी, आपराधिक लापरवाही के कारण प्रत्येक मामले में 12 लाख रुपए से अधिक तथा अन्य मामलों में 60 लाख रुपए की राशि को बट्टे खाते में डालने की रिपोर्ट भी बोर्ड को दी जाए।

19. एयरक्राफ्ट स्टोरों की स्क्रैपिंग तथा उनका निपटान

सामान्य टूट-फूट तथा पुराने सामान के मामले में 60 लाख रुपए तथा अन्य मामलों में 12 लाख रुपए से अधिक के विमान/गैर-विमान स्टोरों को बट्टे खाते में डालने की रिपोर्ट बोर्ड को दी जाए।

20. अधिशेष परिसंपत्तियों तथा स्टोरों की घोषणा तथा निपटारा

का. निदेशक वित्त के साथ परामर्श करके निगमित कार्यों के यूनिट प्रमुख तथा क्षेत्रों में महाप्रबंधक-वित्त के साथ परामर्श करके क्षेत्रीय निदेशक अधिशेष की घोषणा कर सकते हैं तथा ऐसी परिसंपत्तियों तथा एयरक्राफ्ट, ऐरो-इंजनों, मॉड्यूलों तथा उनके स्टोरों तथा स्पेयरों,जो आवश्यकता से अधिक हो सकते हैं, के अलावा स्टोरों के निपटान के लिए प्राधिकृत हैं।

21. स्टोरों तथा उपकरण की हानि

प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपए से अधिक की हानि को बट्टे खाते में डालने की सूचना का.निदेशक-वित्त को की जाए ताकि वे इसकी सूचना बोर्ड को दे सकें।

22. अटल हानि को बट्टे खाते में डालना (पैरा 11)

महाप्रबंधक- वित्त को बट्टे खातों की मासिक विवरणियों को प्रत्येक माह के अंत के बाद 15 दिनों के अंदर का. निदेशक - वित्त को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा ।

23. पैरा 7 से 12 से संबंधित नोट

महाप्रबंधक- वित्त को नुकसानों से बचने के लिए सुधारात्मक उपायों को तैयार करने में संबद्ध किया जाएगा जो कि इंस्ट्रूमेंट के पैरा 7-12 के अंतर्गत लिखा जा सकता है। संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का. निदेशक-वित्त को सौंपी जाएगी।

24. क्षतिपूर्ति/ अनुग्रही भुगतान/धनवापसी

यह सुनिश्चित करना उस अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा, जिसे अधीनस्थ प्राधिकारी रिपोर्ट करेगा कि इंस्ट्रूमेंट के पैरा 16 के अंतर्गत प्राधिकृत भुगतानों की मासिक विवरणियां उसे विधिवत रिपोर्ट की गई है, उसके द्वारा उनकी जांच की गई है तथा उसने उसे उन पर प्रतिहस्ताक्षर किया है।

25. संस्थानों की सदस्यता के लिए अंशदान

प्रत्येक मामले में 100,000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक की संस्थानों की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए अंशदान के विषय में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए।

26. खरीद बजट

व्यय के लिए धन आबंटित करने के लिए इंस्ट्रूमैंटके पैरा 6 (i) के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।उल्लेखनीय है कि स्टोर मैनुअल और अन्य निर्देश, जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं, के प्रावधानों का अनुपालन किसी भी वस्तु की खरीद पर किया जाता है।

****